न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 69/2023

अनवान : –

1. जीत सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति वाल्मिकी निवासी 34 आरडब्ल्यूडी (गन्धेली) तहसील रावतसर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 2/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ढंण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 287/90 की कुल 6.2600 हैक्ट भूमि में क्रम संख्या 22 पर व रोही मौजा ढंढेलाबारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 104/91 की कुल 31.2490 हैक्ट भूमि में क्रम संख्या 19 पर दर्ज सहखातेदार काश्तकार है। 0.2470 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रणजीत पुत्र रामस्वरूप सहवन से दर्ज हो गया है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम जीत सिंह पुत्र रामस्वरूप है। राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकूक का हनन हो रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजों में नाम जीत सिंह पुत्र रामस्वरूप है। अतः वादी राजस्व रिकार्ड में रणजीत पुत्र रामस्वरूप के स्थान पर मुताबिक दस्तावेज जीत सिंह पुत्र रामस्वरूप करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा हैं

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में तस्लीम कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा वादी के नाम के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई कि उक्त वाद भूमि में वादी का नाम रणजीत पुत्र रामस्वरूप दर्ज है लेकिन वादी के नाम के संबंध में पटवार हल्का 34 आरडब्ल्यूडी से रिपोर्ट लिया जाना उचित है। पटवार हल्का द्वारा वादी के नाम के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई कि जीत सिंह पुत्र रामस्वरूप वाल्मिकी चक 34 आरडब्ल्यूडी में लंबे समय से निवास कर रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:14:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में रणजीत पुत्र रामरूवरूप है जबकि समस्त दस्तावेजों में जीतसिंह पुत्र रामस्वरूप दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। अतः वादी का नाम रणजीत पुत्र रामस्वरूप के स्थान पर जीतसिंह पुत्र रामस्वरूप दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढंण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 287/90 की कुल 6.2600 हैक्ट भूमि में क्रम संख्या 22 पर व रोही मौजा ढंढेलाबारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 104/91 की कुल 31.2490 हैक्ट भूमि में क्रम संख्या 19 पर दर्ज सहखातेदार काश्तकार है। 0.2470 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रणजीत पुत्र रामस्वरूप दर्ज है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वादी का नाम जीतसिंह पुत्र रामस्वरूप दर्ज है तथा पटवार हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई है कि वादी का नाम जीसिंह पुत्र रामस्वरूप है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी पटवार की रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा ढंण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 287/90 की कुल 6.2600 हैक्ट भूमि में क्रम संख्या 22 पर व रोही मौजा ढंढेलाबारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 104/91 की कुल 31.2490 हैक्ट भूमि में क्रम संख्या 19 पर दर्ज सहखातेदार काश्तकार है, में **वादी का नाम रणजीत पुत्र रामस्वरूप के स्थान जीतसिंह पुत्र रामस्वरूप के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच रणजीत पुत्र रामस्वरूप के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का रणजीत पुत्र रामस्वरूप के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम रणजीत पुत्र रामस्वरूप नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2/01/24........ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा पत्रावली शामिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:52 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 69/2023

अनवान : –

1. जीत सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति वाल्मिकी निवासी 34 आरडब्ल्यूडी (गन्धेली) तहसील रावतसर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0
प्रकरण संख्या 69 वर्ष 2023 निर्णय दिनांक 02/01/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी पटवार हल्का की रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा ढंण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 287/90 की कुल 6.2600 हैक्ट भूमि में कम संख्या 22 पर व रोही मौजा ढंढेलाबारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 104/91 की कुल 31.2490 हैक्ट भूमि में कम संख्या 19 पर दर्ज सहखातेदार काश्तकार है, में **वादी का नाम रणजीत पुत्र रामस्वरूप के स्थान जीत सिंह पुत्र रामस्वरूप के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच रणजीत पुत्र रामस्वरूप के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का रणजीत पुत्र रामस्वरूप के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम रणजीत पुत्र रामस्वरूप नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 2/01/24 ....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:52 IST
Reason: SelfAttested